बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
कार्यालय आदेश

पी0–1/4–9–4–2020/ 23 पटना, दिनांक 04.03.2020

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1790, दि0–20.02.2020 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। उक्त संशोधनों के क्रम में संदर्भित अधिसूचना की कंडिका संख्या–6 में बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 851(ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :–

"नियम 851(ख)– बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने, पंक्तिच्यूक्ति, प्रोन्नति या नियतकालिक वेतन वृद्धि की रोक वाले आदेश के विरूद्ध हरेक मामले में एक अपील निम्नलिखित के समक्ष दायर की जा सकेगी :–

..............क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक के मूल आदेश के विरूद्ध मुख्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष.............।"

02. सम्यक विचारोपरान्त बिहार पुलिस हस्तक, 1978 नियम 851(ख) के तहत क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक के विभागीय कार्यवाही में बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने, पंक्तिच्यूकि, प्रोन्नति या नियतकालिक वेतन वृद्धि की रोक वाले मूल आदेश के विरूद्ध बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) को अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

03. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) प्राप्त अपीलों पर कार्रवाई हेतु अपने अधीन एक कोषांग का गठन कर लेंगे, जो उन्हें इस कार्य हेतु कार्यालयीय सहायता उपलब्ध करायेगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

4/3/20

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना

ज्ञापांक–पी0–1/4–9–4–2020/ 132 पटना, दिनांक 04.03.2020

प्रतिलिपि :–

1. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. विशेष सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रशाखा पदाधिकारी/कोषांग प्रभारी/रक्षित पदाधिकारी, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय को इस आदेश को बिहार पुलिस के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/3/20.

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

P-1/Pankaj sir/Ofc order